रजिस्ट्री सं० डी.एल.—33004/95

REGD. NO D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 652] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 21, 1995/कार्तिक 30, 1917
No. 652] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 21, 1995/KARTIKA 30, 1917

खाद्य मंत्रालय
(खाद्य प्रापण और वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1995

का० आ० 927(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्यान्न से संबंधित निम्नलिखित आदेश को तत्काल प्रभाव से विखंडित करती है, अर्थात् :—

खाद्यान्न (स्टार्च के विनिर्माण में प्रयुक्त करने का प्रतिषेध) आदेश, 1966 :

परन्तु यह कि ऐसे विखंडन से निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा :—

(क) उक्त आदेश के पूर्ववर्ती प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक्तः की गई या हुई कोई बात, या

(ख) उक्त आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यता या दायित्व, या

(ग) उक्त आदेश के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दंड, या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत कोई अन्वेषण विधिक कार्यवाही या उपचार, और ऐसी कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी या प्रवृत्त रह सकेगा और ऐसी शास्ति, समपहरण या दंड उसी प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो उक्त आदेश विखंडित नहीं किया गया हो ।

[फा० सं 5(जनरल)(7)/95-डी० एण्ड आर०-I]
सुरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD
(Department of Food Procurement & Distribution)

ORDER

New Delhi, the 21st November, 1995

S.O. 927(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds, with immediate effect, the following Order, relating to foodgrains, namely :—

Foodgrains (Prohibition of Use in the Manufacture of Starch) Order 1966 :

Provided that such rescission shall not affect :—

(a) the previous operation of the said order or anything duly done or suffered thereunder; or

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said order; or

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said order; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid, and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said order had not been rescinded.

[F. No. 5(Genl.)(7)/95-D&R. I]
SURENDRA KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 1995